



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 562

दर्ज तिथि:-01.08.2025

वादी		प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी	बनाम	जोगाराम व अन्य
जरिये अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई		जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल एवं श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-09 नियम-04
सिविल प्रक्रिया संहिता-1908
निर्णय तिथि:-22.12.2025

-:निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के अन्तर्गत बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

- कि हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2024 को उक्त पत्रावली पर सुनवाई की तिथि नियत की गई। लेकिन दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण तथा प्रार्थी को सुनवाई की तिथि की जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थी की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।
- कि प्रार्थी द्वारा चलायमान रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध आवेदन पेश किया गया था। यदि अदम पैरवी में खारिज प्रार्थना पत्र पुन नम्बर पर नहीं गया तो राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3/राज-6/2003/पार्ट-4 की पालना सुनिश्चित नहीं होगी एवं आमजन को रास्ता हेतु अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
- उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थी को जानकारी नहीं थी। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से राजस्व विभाग परिपत्र क्रमांक प.3/राज-6/2003/पार्ट-4 की पालना सुनिश्चित नहीं होगी एवं आमजनता न्याय से वंचित रह जायेगी। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाड़मेर विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 02 व 15 असालतन वकालतन उपस्थित रहे। शेष



अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 व 15 उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र पर सीधे बहस करने का अनुरोध किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थी को जानकारी नहीं थी एवं प्रार्थी अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से आमजन न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी को अपने वाद के संबंध में जानकारी होते हुए भी जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई की तिथि की जानकारी नहीं होने को आधार बताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत दिनांक 10.06.2024 को मूल आवेदन के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.08.2025 को प्रस्तुत किया है।
4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् पक्षकार के द्वारा अपनाये गये आचरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-09 नियम-04 वास्ते दिनांक 10.06.2024 को की गई अदम पैरवी को निरस्त करने का दिनांक 01.08.2025 को करीब 415 दिन की लघु अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। अब प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई की तिथि के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण का पर्याप्त कारण के संबंध में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को मूल प्रार्थना पत्र के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् प्रस्तुत पर्याप्त कारण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण में पैरवी करते हैं तथा स्वयं पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति को अपरिहार्य नहीं माना जाता है। न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही पर किसी सुनवाई की तिथि पर प्रार्थी/अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उक्त एकतरफा कार्यवाही की सूचना पक्षकार तक बहुत धीमी या किसी आकस्मिक तरीके से पहुंचती है। किसी न्यायालय में प्रार्थी की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा आमजनता को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से न्यायालय से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यहां स्थिति इस प्रकार है कि दावा अभी शुरूआती चरण में है। अप्रार्थी को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पुनः सुनवाई पर लेने से अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सहमत है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना-पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी-बाड़मेर

